

**अन्तिम डिक्री**  
**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)**

पीठासीन अधिकारी:- श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्या:- 1/550/2015

दायर दिनांक:- 23/06/2025

जीसीएमएस नं0:- 2015/00064

निर्णय दिनांक:- 22/12/2025

वउनवान

1. गोविन्दसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी ग्राम बरखेडा फौजदार तहसील नगर जिला डीग।

———— वादी

बनाम

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी बरखेडा फौजदार
2. बृजराज पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी बरखेडा फौजदार
3. महावीर पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी बरखेडा फौजदार तहसील नगर जिला डीग।
4. तहसीलदार कठूमर बहैसियत लैण्ड होल्डर तह0 कठूमर

———— प्रतिवादीगण

दावा तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :- श्री महेन्द्रसिंह कुपासिया एडवोकेट- वादी

श्री गिरधारीलाल शर्मा एडवोकेट-प्रतिवादीगण

—:निर्णय:—

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य के इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 883,887, 888, 889, 891, 892, 893, 894, 895, 896, कित्ता 10 रकबा 3.98 हैक्ट0 वाके ग्राम बीजला तहसीलदार कठूमर में स्थित है उक्त आराजी वादी के 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 ला0 3 के 3/4 हिस्सा की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी

  
उपखण्ड अधिकारी  
कठूमर (अलवर)

की आराजी है जो अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। वादी विवादीत आराजी का कानूनी तकासमा कराने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। वादी विवादीत आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी मौके पर तकसीम कराने व दखल प्राप्त करने का अधिकारी है अतःवादी ने विवादीत आराजी का कानूनी तकासमा कराने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण के जवाब व बहस सुनकर वाद वादी दिनांक 22.07.2025 को प्रारम्भिक रूप से डिकी किया जाकर तहसीलदार कठूमर को विवादित आराजी का पक्षकारान की मौजूदगी में कानूनी तकासमा कर विधिनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अदालत हाजा में पेश करने के आदेश दिये गये।

तहसीलदार कठूमर ने आदेश की पालना मे विवादित आराजी वावत कुर्रैजात रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) तैयार कर हाजिर अदालत होकर अदालत हाजा के समक्ष पेश की है जिस कुर्रैजात रिपोर्ट पर बहस बकुलाय सुनी गई जिस कुर्रैजात रिपोर्ट पर वकील अप्रर्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त कुर्रैजात अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी पेश नहीं होने के कारण पुनः कुर्रैजात रिपोर्ट का निवेदन किया गया तहसीलदार कठूमर को पुनः कुर्रैजात रिपोर्ट हेतु आदेशित किया गया तहसीलदार कठूमर के द्वारा पत्रावली पुनः कुर्रैजात तैयार कर न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश किया जिस पर अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा ऐतराज कुर्रैजात प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर बहस वकुलाय सुनी गई प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को खारिज किया गया। जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत रेकार्ड व विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार कठूमर का अवलोकन किया व बहस वकुलाय सुनी गई। तहसीलदार कठूमर ने अपनी कुर्रैजात रिपोर्ट में आराजी खसरा नम्बर 883/3 रकबा 0.2375 हैक्ट0,887/3 रकबा 0.1325 हैक्ट0,888/6 रकबा 0.0775 हैक्ट0, 888/7 रकबा 0.1075, 889 रकबा 0.04 हैक्ट0,891/3 रकबा 0.1650, 892/1 रकबा 0.0050 हैक्ट0, 893/3 रकबा 0.01 हैक्ट, 894/3 रकबा 0.12 हैक्ट0,895/3 रकबा 0.085 हैक्ट0, 896/3 रकबा 0.015 हैक्ट0, कुल कित्ता 11 रकबा 0.9950 वादी राजेन्द्र पुत्र रामस्वरूप एवं आराजी खसरा नम्बर 883/0.2375 हैक्ट0,887 रकबा 0.1325 हैक्ट0,888 रकबा 0.1175 हैक्ट0, 888/1 रकबा 0.1075 हैक्ट0, 891 रकबा 0.17 हैक्ट0 893 रकबा 0.01 हैक्ट0,894

अधिकारी  
(अलवर) राजप

रकबा 0.12 हैक्ट0,895 रकबा 0.085 हैक्ट0,896 रकबा 0.015 हैक्ट0 किता 9 रकबा 0.9950 हैक्ट0 प्रतिवादी महावीर पुत्र रामस्वरूप एवं आराजी खसरा नम्बर 883/1 रकबा 0.2375 हैक्ट0, 887/1 रकबा 0.1325 हैक्ट0, 888/2 रकबा 0.1175 हैक्ट0,888/3 रकबा 0.1075 हैक्ट0, 891/1 रकबा 0.17 हैक्ट0, 893/1 रकबा 0.01 हैक्ट0, 894/1 रकबा 0.12 हैक्ट0, 895/1 रकबा 0.085 हैक्ट0, 896/1 रकबा 0.015 हैक्ट किता 9 रकबा 0.9950 हैक्ट0, प्रतिवादी राजेन्द्रसिंह पुत्र रामस्वरूप एवं आराजी खसरा नम्बर 883/2 रकबा 0.2375 हैक्ट0, 887/2 रकबा 0.1325 हैक्ट0, 888/4 रकबा 0.1175 हैक्ट0, 888/5 रकबा 0.1075 हैक्ट0, 891/2 रकबा 0.1650 हैक्ट0, 892 रकबा 0.0050 हैक्ट0, 893/2 रकबा 0.01 हैक्ट0, 894/2 रकबा 0.12 हैक्ट0, 895/2 रकबा 0.065 हैक्ट0, 896/2 रकबा 0.015 हैक्ट0, किता 10 रकबा 0.9950 प्रतिवादी बुजराजसिंह पुत्र रामस्वरूप जातियान जाट निवासी बरखेडा फौजदार को तहसील कठूमर की आराजी खातेदार रहन बदस्तूर को तकसीम में दिया है। विभाजन के अनुसार नक्शा भी विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा पर वादी एवं गवाह के हस्ताक्षर है। कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार पर किसी पक्षकार ने कोई आपत्ति नहीं की है। अतः मुताविक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर वाद वादी अंतिम रूप से डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है।

### —:आदेश:—

दावा वादी मुताविक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 883/3 रकबा 0.2375 हैक्ट0,887/3 रकबा 0.1325 हैक्ट0,888/6 रकबा 0.0775 हैक्ट0, 888/7 रकबा 0.1075, 889 रकबा 0.04 हैक्ट0,891/3 रकबा 0.1650, 892/1 रकबा 0.0050 हैक्ट0, 893/3 रकबा 0.01 हैक्ट, 894/3 रकबा 0.12 हैक्ट0,895/3 रकबा 0.085 हैक्ट0, 896/3 रकबा 0.015 हैक्ट0, कुल किता 11 रकबा 0.9950 वादी राजेन्द्र पुत्र रामस्वरूप एवं आराजी खसरा नम्बर 883/0.2375 हैक्ट0,887 रकबा 0.1325 हैक्ट0,888 रकबा 0.1175 हैक्ट0, 888/1 रकबा 0.1075 हैक्ट0, 891 रकबा 0.17 हैक्ट0 893 रकबा 0.01 हैक्ट0,894 रकबा 0.12 हैक्ट0,895 रकबा 0.085 हैक्ट0,896 रकबा 0.015 हैक्ट0 किता 9 रकबा 0.9950 हैक्ट0 प्रतिवादी महावीर पुत्र रामस्वरूप एवं आराजी खसरा नम्बर 883/1 रकबा 0.2375 हैक्ट0, 887/1 रकबा 0.1325 हैक्ट0, 888/2 रकबा 0.1175 हैक्ट0,888/3 रकबा 0.1075 हैक्ट0, 891/1 रकबा 0.17 हैक्ट0, 893/1 रकबा 0.01

उपस्थित अधिकारी  
अध्यापक (अभ्युक्त) र

हैक्ट0, 894/1 रकबा 0.12 हैक्ट0, 895/1 रकबा 0.085 हैक्ट0, 896/1 रकबा 0.015 हैक्ट किता 9 रकबा 0.9950 हैक्ट0, प्रतिवादी राजेन्द्रसिंह पुत्र रामस्वरूप एवं आराजी खसरा नम्बर 883/2 रकबा 0.2375 हैक्ट0, 887/2 रकबा 0.1325 हैक्ट0, 888/4 रकबा 0.1175 हैक्ट0, 888/5 रकबा 0.1075 हैक्ट0, 891/2 रकबा 0.1650 हैक्ट0, 892 रकबा 0.0050 हैक्ट0, 893/2 रकबा 0.01 हैक्ट0, 894/2 रकबा 0.12 हैक्ट0, 895/2 रकबा 0.065 हैक्ट0, 896/2 रकबा 0.015 हैक्ट0, किता 10 रकबा 0.9950 प्रतिवादी बुजराजसिंह पुत्र रामस्वरूप जातियान जाट निवासी बरखेडा फौजदार को तहसील कठूमर की आराजी को तकसीम में दिया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्सा व तकसीम में मिली आराजी बावत अलग अलग खाता कायम करें। तहसीलदार कठूमर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया।

आज दिनांक 22.12.2025 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)  
कठूमर (अलवर) राज०

**पर्चा डिकी**  
**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )**

**पीठासीन अधिकारी:- श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)**

राजस्व वाद संख्या:- 1/550/2015

दायर दिनांक:- 23/06/2025

जीसीएमएस नं0:- 2015/00064

निर्णय दिनांक:- 22/12/2025

वउनवान

1. गोविन्दसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी ग्राम बरखेडा फौजदार तहसील नगर जिला डीग।

----- वादी

बनाम

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी बरखेडा फौजदार
2. बृजराज पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी बरखेडा फौजदार
3. महावीर पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी बरखेडा फौजदार तहसील नगर जिला डीग।
4. तहसीलदार कठूमर बहैसियत लैण्ड होल्डर तह0 कठूमर

----- प्रतिवादीगण

**दावा तकसीम व हूकमइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

अतः दावा वादी मुताविक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 883/3 रकबा 0.2375 हैक्ट0,887/3 रकबा 0.1325 हैक्ट0,888/6 रकबा 0.0775 हैक्ट0, 888/7 रकबा 0.1075, 889 रकबा 0.04 हैक्ट0,891/3 रकबा 0.1650, 892/1 रकबा 0.0050 हैक्ट0, 893/3 रकबा 0.01 हैक्ट, 894/3 रकबा 0.12 हैक्ट0,895/3 रकबा 0.085 हैक्ट0, 896/3 रकबा 0.015 हैक्ट0, कुल किता 11 रकबा 0.9950 वादी राजेन्द्र पुत्र रामस्वरूप एवं आराजी खसरा नम्बर 883/0.2375 हैक्ट0,887 रकबा 0.1325 हैक्ट0,888 रकबा 0.1175 हैक्ट0, 888/1 रकबा 0.1075 हैक्ट0, 891 रकबा 0.17 हैक्ट0 893 रकबा 0.01 हैक्ट0,894 रकबा 0.12 हैक्ट0,895 रकबा 0.085 हैक्ट0,896 रकबा 0.015 हैक्ट0 किता 9 रकबा 0.9950 हैक्ट0 प्रतिवादी महावीर पुत्र रामस्वरूप एवं आराजी खसरा नम्बर

**उपखण्ड अधिकारी**  
**कठूमर (अलवर) राज**

883/1 रकबा 0.2375 हैक्ट0, 887/1 रकबा 0.1325 हैक्ट0, 888/2 रकबा 0.1175 हैक्ट0, 888/3 रकबा 0.1075 हैक्ट0, 891/1 रकबा 0.17 हैक्ट0, 893/1 रकबा 0.01 हैक्ट0, 894/1 रकबा 0.12 हैक्ट0, 895/1 रकबा 0.085 हैक्ट0, 896/1 रकबा 0.015 हैक्ट किता 9 रकबा 0.9950 हैक्ट0, प्रतिवादी राजेन्द्रसिंह पुत्र रामस्वरूप एवं आराजी खसरा नम्बर 883/2 रकबा 0.2375 हैक्ट0, 887/2 रकबा 0.1325 हैक्ट0, 888/4 रकबा 0.1175 हैक्ट0, 888/5 रकबा 0.1075 हैक्ट0, 891/2 रकबा 0.1650 हैक्ट0, 892 रकबा 0.0050 हैक्ट0, 893/2 रकबा 0.01 हैक्ट0, 894/2 रकबा 0.12 हैक्ट0, 895/2 रकबा 0.065 हैक्ट0, 896/2 रकबा 0.015 हैक्ट0, किता 10 रकबा 0.9950 प्रतिवादी बुजराजसिंह पुत्र रामस्वरूप जातियान जाट निवासी बरखेडा फौजदार को तहसील कठूमर की आराजी को तकसीम में दिया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्सा व तकसीम में मिली आराजी बावत अलग अलग खाता कायम करें। श्याम सुन्दर चेतीवाल

आज दिनांक 22.12.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय सील से जारी हुई।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (अलवर एस.)  
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)